



2026:AHC-LKO:5390-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 604/2026

श्रीमती राजेंद्र कुमारी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,
लखनऊ के माध्यम से एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

रोमित सेठ

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्रीनिवास बाजपेई

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोमित सेठ और सुश्री वर्षा शर्मा, नगर पालिका परिषद, सीतापुर की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र 'कशिश' व श्री श्रीनिवास वाजपेयी और विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।
2. नगर पालिका परिषद, सीतापुर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र 'कशिश' और श्री श्रीनिवास वाजपेयी ने कहा कि उनके पास न्यायालय को सूचित करने के निर्देश हैं कि आक्षेपित सूचना दिनांक 08.01.2026 और 09.01.2026 को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और वापस लेने का आदेश 24 घंटे के भीतर पारित कर दिया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका परिषद, सीतापुर के उपर्युक्त अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बयान के आधार पर याचिका **निस्तारित** की जाती है, जिसका सकारात्मक रूप से सम्मान किया जाएगा। तदनुसार, आक्षेपित सूचना/आदेश को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

22 जनवरी, 2026

प्रवीण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।